न्यायालय खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम, अलवर

अनवान ......वेदप्रकाश...... बनाम ......धर्मेन्द्र......

किस्म मुकदमा ......212 R.T. Act...... मु0 नं0 ...326... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.11.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं सलंग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 10.01.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 503/2/0.3794, 2733/2662/0.2276, 499/0.2908 है0 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 11 उप पंजियक, कोटकासिम व अप्रार्थीगण संख्या 1 ल0 10 द्वारा रहननामा, बैयनामा, हिबानामा, लीजनामा, इत्यादि दस्तावेज पंजिबद्व हेतु प्रस्तुत करने पर पंजिबद्व ना करे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोडा एक्ट पत्रावली व किसी भी न्यायालय की डिकी, निर्णय, आदेश पर प्रभावी नही होगी। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 10.01.2022 उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
10/1/22	वास्ते RAD तलबी पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो
28/3/22	वास्ते इन्तजार वकील पत्रावली दिनांक 31/3/22 को पेश हो
31/3/22	वकुलाय फरीकेन उपस्थित अधिवक्तागण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वादेश पालना में दि0 5/4/22 को पेश हावे।
05/4/22	वकुलाय फरीकेन उप0/श्रीमान P.O. साहब दीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 12/4/22 को उनके समक्ष पेश हो।